

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1216 /

जबलपुर, दिनांक 27/03/2016

श्री अमजद खॉ, आत्मज स्व. श्री मामूर खॉ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त भृत्य के पद पर वेतनमान रूपये 4440-7440/- ग्रेड पे रू. 1300/-) में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित परीवीक्षा पर 2 वर्ष के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आठवीं उत्तीर्ण की शर्त को शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि उन्हें 3 वर्ष की अवधि में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करना होगी, असफल रहने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी । उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है :-

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे ।
2. यह कि वे 15 दिवस के अंदर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विधालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है । यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा ।

3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे।
4. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13-04-2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।
5. यह कि, चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थता परीक्षण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
6. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
8. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
9. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
10. कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर/खंडपीठ इंदौर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
11. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।
12. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।

//3//

13. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाण- पत्र, शपथ-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार
सही/-

(मनोहर ममतानी)

रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक B/1217/

जबलपुर, दिनांक 21/03/2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई/ई./व्ही.एल./ (निरी. एवं सतर्कता) /एकजाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर पदों को डी.डी.ओ.-रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1412103001, एम्पलाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित,
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर,
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ज्वार्ट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/ सतर्कता/आई. एल. आर एवं एकजाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक/डी. पी.एफ./सी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
16. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. श्री अमजद खॉ पुत्र आत्मज स्व. श्री मामूर खॉ, शिवनगर, घोसीपुरा चांद मस्जिद के पास, ग्वालियर (म.प्र.),

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


21.3.16
(भूपेन्द्र कुमार निगम)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)

m